



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102022-239955  
CG-DL-E-31102022-239955

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4860]  
No. 4860]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 31, 2022/कार्तिक 9, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2022/KARTIKA 9, 1944

गृह मंत्रालय  
(विदेशी प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2022

**का.आ. 5079(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, (1955 का 57) 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि गुजरात राज्य में आणंद और मेहसाना जिलो में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के समुदायों के संबंध में किसी भी व्यक्ति अर्थात् हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है) को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने या धारा 6 के अधीन उसे देशीयकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का जिला कलेक्टर आणंद और जिला कलेक्टर मेहसाना द्वारा, नागरिकता नियम, 2009) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, भी प्रयोग किया जाएगा अर्थात् :-

- (अ) उक्त नियमों के अधीन आवेदक द्वारा भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण या भारत के नागरिक के रूप में देशीयकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन आनलाइन किया जाएगा ;
- (आ) आवेदक का सत्यापन यथास्थिति, जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा किया जाएगा तथा आवेदन और उससे संबंधित रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के आनलाइन पोर्टल पर एक साथ सुगम होगी;
- (इ) आवेदक की उपयुक्तता को अभिनिश्चित करने के लिए, जिला कलेक्टर जैसा आवश्यक समझे वैसी जांच करा सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उस आवेदन को आनलाइन ऐसे अभिकरणों को सत्यापन और

टिप्पणियों के लिए भेजेगा, जो ऐसी जांच पूर्ण करने के लिए अपेक्षित हो और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र और जिला द्वारा कठोर अनुपालन किया जाएगा;

- (ई) खंड (इ) में निर्दिष्ट अभिकरणों की टिप्पणियों को ऐसी अभिकरणों द्वारा आनलाइन अपलोड किया जाता है तथा इन्हें, जिला कलक्टर और केन्द्रीय सरकार को सुलभ कराया जाता है;
- (उ) कलक्टर, आवेदक की उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर उसे रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करता है और उक्त नियमों की अनुसूची से संलग्न प्ररूप में आनलाइन पोर्टल से सम्यक् रूप से मुद्रित तथा जिला कलक्टर द्वारा हस्ताक्षरित यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा;
- (ऊ) उक्त नियमों के अनुसार, कलक्टर द्वारा एक आनलाइन के साथ-साथ भौतिक रजिस्टर भी रखा जाएगा, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत या देशीयकृत व्यक्तियों का ब्यौरा होगा तथा उसकी एक प्रति ऐसे रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण के सात दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा और आगामी आदेशों तक विधिमान्य रहेगा।

[फा. सं. 26030/266/2014-आईसी-II(खंड- II)(पार्ट.)]

सुमन्त सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### (FOREIGNERS DIVISION)

#### ORDER

New Delhi, the 31st October, 2022

**S.O. 5079(E).** — In exercise of the powers conferred by section 16 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby directs that powers exercisable by it, for registration as a citizen of India under section 5, or for grant of certificate of naturalisation under section 6, of the Citizenship Act, 1955, in respect of any person belonging to the communities in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians (hereinafter referred to as the applicant), residing in the districts of Anand and Mehsana in the State of Gujarat, shall also be exercisable by the Collector of District Anand and District Mehsana, within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident, in accordance with the provisions of the Citizenship Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), subject to following conditions, namely:-

- (A) the application for registration as citizen of India or grant of certificate of naturalisation as citizen of India under the said rules shall be made by the applicant online;
- (B) the verification of the application shall be done by the Collector at the district level and the application and the reports thereon shall be made accessible simultaneously to the Central Government on online portal;
- (C) the Collector, may make such inquiry as he considers necessary for ascertaining the suitability of the applicant and for that purpose forwards the application online to such agencies for verification and comments as may be required for completing such an inquiry and the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard shall be strictly complied with by the State or Union territory and District concerned ;
- (D) the comments of the agencies referred to in clause (C) are uploaded online by such agencies and accessible to the Collector and the Central Government ;
- (E) the Collector, being satisfied with the suitability of the applicant, grants him the citizenship of India by registration or naturalisation and issues a certificate of registration or

naturalisation, as the case may be, duly printed from online portal and signed by the Collector, in the Form appended to the schedule in the said rules; and

- (F) the Collector shall maintain online and a physical register, in accordance with the said rules, containing the details of the person so registered or naturalised as a citizen of India and furnish a copy thereof to the Central Government within seven days of such registration or naturalisation.

2. This Order shall come into force on the date of its publication in the official Gazette and shall remain valid until further orders.

[F. No. 26030/266/2014-IC-II (Vol.II) (Pt.)]

SUMANT SINGH, Jt. Secy.